



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233841
CG-DL-E-03032022-233841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 874]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/फाल्गुन 11, 1943

No. 874]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 904(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1404 (अ), तारीख 30.3.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) पैरा 1 के अंतर्गत सारणी 2 में डिजाइन किमी 167.700 (विद्यमान किमी 167.731) पर शुल्क प्लाज़ा की अवस्थिति निम्नानुसार है:

शुल्क प्लाज़ा (ओं) (चैनेज) की मौजूदा अवस्थिति	शुल्क प्लाज़ा(ओं) (चैनेज) की संशोधित अवस्थिति
राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में सियोरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-911 के डिजाइन किमी 167.700 (मौजूदा चैनेज 167.731) पर	राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में सावरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-911 के डिजाइन किमी 165.600 (मौजूदा चैनेज 165.631) पर

[फा. सं. 13203/1/2020/शुल्क अधिसूचना (बीएम 10)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1404 (अ) के तहत तारीख 30.3.2021 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2022

S.O. 904(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 1404 (E), dated 30.3.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

(i) In Table 2 under para 1, the Location of Fee Plaza at design km 167.700 (existing km 167.731) shall stand revised as under:

Existing Location of Fee Plaza (s) (chainage)	Revised Location of Fee Plaza(s) (chainage)
At design km. 167.700 (existing chainage 167.731) of National Highway-911 at Seora Village of Bikaner District in Rajasthan State	At design km. 165.600 (existing chainage 165.631) of National Highway-911 at Sawara Village of Jodhpur District in Rajasthan State.

[F. No. 13203/1/2020/Fee Notification (BM10)]

AMIT VARDAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. 1404(E) dated 30th March'2021.